राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शौध संस्थान
टोंक, राजस्थान
01432–247389,मो0नं0–9667489786 ई–मेल–maapri-rj@nic.in

क्रमांक : एफ0 2(21)स्था0 / स्वी0पद / एपीआरआई / 2017 / दिनांक

कार्यालय आदेश

निदेशालय,मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय–4 एंव सा0वि0) विभाग के अ0शा0टीप0क्रमांक प.12(10)वित्त / व्यय–4 / 2014 दिनांक 23–12–2014 द्वारा कनिष्ठ सहायक के सृजित चार पदों में से तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधारा (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (6) प्र.सु. /अनु.–3 / 2017 दिनांक 08–02–2018 के अनुसरण में नियुक्ति हेतु तीन प्रकरण प्राप्त होने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम–1999 के अंर्तगत निम्नांकित अभ्यार्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में पे–मेट्रिक्स लेवल–5 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 14600 / –रूपये प्रति माह अद्योलिखित शर्तो पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क्र0सं0	नाम सर्वश्री	पिता का नाम व पता	वर्ग	मेरिट नं0	रोल नं0	जन्म तिथि
1	श्री कैलाश कुमार खत्री	श्री बाबू लाल खत्री	सामान्य	118	396383	25–01–1995
2	श्री जगदीश सैनी	श्री झाबर मल सैनी	पिछडा वर्ग	164	233288	09–09–1986
3	श्री विक्रान्त सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	पिछडा वर्ग	231	419859	21–06–1990

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उक्त पद पद अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे तथा अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर को वापस लौटा दिया जावेगा।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स–पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प012 (6)वित्त / नियम / 05 दिनांक 13–03–2006 पत्र क्रमांक प06(6) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13–03–2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम–2008 दिनांक 12–09–2008 के नियम –21 व परिशिष्ट के अर्न्तगत नियत पारिश्रमिक (फिक्स पे) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता आादि देय नही होंगे।
5. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एंव आचरण परिवीक्षा अवधि में अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषजनक नही पाया गया अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एंव आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एंव अन्य से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होने पर लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अर्न्तगत स्थाई आधार पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पे–मेट्रिक्स लेवल–5 के अर्न्तगत करते हुए नियमानुसार वेतन एंव अन्य भत्तें देय होगें।
9. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ013(1)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 23–01–2004 एंव 27–03–2004 के तहत अंशदायी पेन्शन योजना के प्रावधान लागू होंगे एंव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एंव सेवालाभ देय होंगे।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे। परन्तु पदस्थापन पर कार्यगहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एंव गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार उनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

13 अभ्यर्थी की जन्म तिथि आपके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय अपने गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय विवाह संबंधी/विवाह पंजीयन संबंधी एंव संतान संबंधी शपथ–पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एंव दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में प्रस्तुत करना होगा।

16 अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय प्रिन्सीपल मेडिकल ऑफिसर (पी0एम0ओ0)/मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय ओ0बी0सी0 संबंधी नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो पिता की आय के आधार पर जारी किये हुए होने चाहिए।

Sd
निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शौध संस्थान
टोंक, राजस्थान

क्रमांक : एफ0 2(21)स्था0/स्वी0पद/एपीआरआई/2017/ 273-289 दिनांक 20/02/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान अधीनस्त एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव,प्रशासनिक सुधार (ग्रुप 3) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्र कमांक प.1 (6) प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 08–02–2018 के संदर्भ में ।
4. उप शासन सचिव कला, साहित्य,संस्कृति एंव पुरातत्तव विभाग,शासन सचिवालय जयपुर।
5. उपशासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, टोंक।
7. उपनिदेशक, राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, टोंक।
8. प्रभारी लेखा शाखा, एमएपीआरआई, टोंक।
9. प्रभारी स्थापना शाखा, एमएपीआरआई, टोंक।
10. निजि सहायक, निदेशक, एमएपीआरआई, टोंक।
11. केशियर, एमएपीआरआई, टोंक।
12. श्री कैलाश कुमार खत्री, पुत्र श्री बाबू लाल खत्री, 229, खत्रियों का वास, चौहटन, तहसील–चौहटन, जिला बाड़मेर–344702 (राजस्थान)।
13. श्री जगदीश सैनी पुत्र स्व0 श्री झाबर मल सैनी, प्लाट नं0 ख–72, भवानी नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड़ जयपुर–302039 (राजस्थान)।
14. श्री विकान्त सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, गली बहादुर सिंह, काकाजी मार्केट के पीछे, मोरी चार बाग, चौबुर्जा, भरतपुर–321001 (राजस्थान)।
15. निजी पत्रावली श्री कैलाश कुमार खत्री, पुत्र श्री बाबू लाल खत्री, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टोंक।
16. निजी पत्रावली श्री जगदीश सैनी पुत्र स्व0 श्री झाबर मल सैनी, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टोंक।
17. निजी पत्रावली श्री विकान्त सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, गली बहादुर सिंह, कनिष्ठ सहायक, एमएपीआरआई टोंक।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शौध संस्थान
टोंक, राजस्थान